Class – B.A-2 (H) Paper-III

भारत का संविधान
The Constitution of India

Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
dept. of Pol. science
V.S.J. college,
Rajnagar, Madhubani
(Unmu)

Introduction :-

भारत का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। इसका निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया।

" स्वराज ब्रिटिश पार्लमेंट की भिक्षा नहीं होगी, यह भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। यह सत्य है कि इसे पार्लमेंट के एक्ट के अधीन अभिव्यक्त किया जाएगा किन्तु यह भारत के लोगों की इच्छा की घोषणा का विनम्र अनुमोदन मात्र होगा जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के संघ के मामले में किया गया था।" – महात्मा गांधी

Historical background :-

(i) भारत शासन अधिनियम, 1858 ⇒

इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने भारत की प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने में निहित कर ली थी और ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन की सरकार द्वारा सीधे शासन चलाने के लिए भारत के शासन का पहला कानून बनाया था – भारत शासन अधिनियम, 1858। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं –

Page No.
Date

(i) इसमें सम्राट की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया (भारत परिषद्) द्वारा 15 सदस्यों की एक परिषद् से किया जाना था।

(ii) यह परिषद् पूरी तरह से इंग्लैण्ड के सदस्यों से मिलकर बनती थी। जिनमें से कुछ सम्राट द्वारा नाम निर्देशित होते थे और कुछ ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशकों के प्रतिनिधि थे।

(iii) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का शासन करता था।

(iv) गवर्नर-जनरल कार्यकारी परिषद् की सहायता से कार्य करता था। इस कार्यकारी परिषद् में सरकार के उच्च अधिकारी होते थे।

(v) देश का प्रशासन एकीकृत और केन्द्रीकृत था। राज्य को प्रान्तों में बाँटा गया था और प्रत्येक के ऊपर एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा कार्यकारी परिषद् थी।

Scanned with CamScanner

लेकिन ये प्रांतीय सरकारें गवर्नर-जनरल के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन काम करते थे।

(vi) कार्य का पृथक्करण नहीं था। सभी प्राधिकार सपरिषद् गवर्नर-जनरल में निहित थी।

(vi) इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन या राजस्व से किसी भी प्रकार से संबंधित सभी कार्यों, संक्रियाओं और बातों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में निहित था। उसी का वाक्य अंतिम होता था चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य विषय में।

(2) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 :-

(i) इस अधिनियम के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का थोड़ा सा समावेश किया गया।

(ii) इसमें यह उपबन्ध किया गया कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् में, जब वह विधान परिषद् के रूप में विधायी कार्य करेगी, कुछ गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित किये जाएंगे।

(iii) यह विधान-परिषद् किसी भी प्रकार से न तो लोक प्रतिनिधि थी और ना ही इसमें विचार-विमर्श होता था।

(iv) इस अधिनियम में भी कानून के बारे में प्रभावी शक्तियां गवर्नर-जनरल को दिया गया।

(3) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 :-

भारतीय और प्रान्तीय विधान परिषदों के बारे में दो सुधार भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 द्वारा किया गया।

(i) भारतीय विधान परिषद् में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन गैर-सरकारी सदस्य बंगाल चेम्बर ऑफ कामर्स और प्रान्तीय विधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित होने लगे।

प्रान्तीय वि परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने लगे। ये स्थानीय निकाय थे — विश्व विद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका, इत्यादि।

(ii) परिषदों को बजट पर विचार-विमर्श करने की और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई।

इस अधिनियम को भारत के लिये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस प्रकार स्पष्ट किया था — "(यह) भारत के शासन का आधार विस्तृत करने और उसके कृत्यों को बढ़ाने के लिये, और गैर-सरकारी तथा भारत के समाज के स्थानीय तत्वों को शासन के काम में भाग लेने का अवसर देने के लिए अधिनियम है।"

(4.) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 :-

इस अधिनियम द्वारा प्रातिनिधिक और निर्वाचित तत्व के समावेश का पहला प्रयत्न करने का प्रयास किया गया।

* इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लार्ड मोरले और वाइसराय लार्ड मिंटो था।

Scanned with CamScanner

इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है —

(i) प्रान्तीय विधान परिषद् के आकार में वृद्धि की गई और उसमे कुछ निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित किये गये जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गया।

(ii) केन्द्र की विधान परिषदों में भी निर्वाचन का समावेश हुआ किन्तु शासकीय बहुमत बना रहा।

(iii) इस अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि विधान-परिषदों में भी बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके।

(iv) इसी अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसी से पृथकतावाद का बीजारोपण हुआ।

Khushbu kumari 13/8/2020